न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान
पीठासीन अधिकारी– दिनेशकुमार मण्डोवरा आर. ए. एस., उपखण्ड
अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.

प्र.स. 5/16 (1/18) नामान्तरण अपील

मेरूलाल पिता प्रताप जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी दुधीतलाई तह. छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.

... अपीलान्ट

बनाम

1 श्री केलाशनाथ पिता देवीनाथ जी जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी जलोदाजागीर तह. छोटीसादडी
2 श्री मदनलाल पिता नाथुलाल जी जाति मोग्या उम्र वयस्क निवासी नलवाई तह. बडीसादडी
3 सरपंच ग्राम पंचायत जलोदाजागीर तह. छोटीसादडी
4 श्री तहसीलदार सा. छोटीसादडी
5 श्री बगदीराम पिता तुलसीराम जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी दुधीतलाई तह. छोटीसादडी

.... रेस्पोडेन्ट

अपील विरूध्द नामान्तरण संख्या 1816 वाके मोजा जलोदाजागीर प. ह. जलोदाजागीर तह. छोटीसादडी दिनांक 21.11.16

निर्णय

निर्णय दिनांक – 12.6.18

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके मोजा जलोदाजागीर तह. छोटीसादडी मे आराजी नम्बर 774 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा स्थित है उक्त आराजियात पुर्व मे बालुनाथ देवनाथ पिता प्यारेनाथ गुसाई के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी बालुनाथ पिता प्यारेनाथगुसाई ने अपीलान्ट के पिता प्रताप पिता कल्लु धाकड को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 13.4.71 को 4 बीघा 8 बिस्वा आराजियात विकय कर कब्जा सुपुर्द किया था बालुनाथ का स्वर्गवास हो गया है।

दोराने पेमाईश उक्त वर्णित आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 1773 रकबा 0.79 हे. आराजी नम्बर 1780 रकबा 0.69 हे. हुए एवं 1/2 भाग पर अपीलान्ट काबिज हो काश्त कर रहा है किन्तु उक्त आराजियात बालुनाथ के स्वर्गवास के बाद वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकित रह गई। जिस बाबत अपीलान्ट की और से एक वाद एवं एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 जिसके प्रकरण संख्या 44/12 होकर माननीय न्यायालय द्वार दिनांक 18.12.13 को मुल वाद के निस्तारण तक मोके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बाबत रेस्पोडेन्ट को पांबद कर रखा है।

राजस्व रिकार्ड मे केलाशनाथ का नाम अंकित होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजियात मे से 1/4 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 3.11.16 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विकय कर दिया एंव नामान्तरण भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खोल दिया गया जिस बाबत उक्त

17 को प्रकरण को बहस हेतु नीयत किया गया। किन्तु न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की बिना जानकारी के अपील अस्वीकार कर दी गई इस बाबत अपीलान्ट की और से जानकारी होने पर एक रिव्यु प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.18 को पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट हो जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये किन्तु नीयत दिनांक 29.5.18 को रेस्पोडेन्ट की और से कोई उपस्थित नही हुआ।

रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रकरण को वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया प्रकरण मे अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपीलान्ट की और से सभी तथ्यो का अवलोकन कराया गया एवं कानुनी नजीरे भी पेश की जिनका भी अवलोकन किया गया विवादग्रस्त आराजियात का स्टे होने के बावजुद भी विकय की रजिस्टी की गई एवं नामान्तरण खोला गया जो अपने आप मे स्वत ही शुन्य है न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यो पर अवलोकन कर यह पाया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करने योग्य है।

अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर वाके मोजा जलोदाजागीर तह. छोटीसादडी कि विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण संख्या 1816 दिनांक 21.11.16 निरस्त किया जाता है एवं विवादग्रस्त आराजियात की पुर्ववत स्थिति नीयत की जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे ।

उक्त निर्णय आज दिनांक 12-6-2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी